पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 351.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग के (श्रेणी I तथा श्रेणी II पद) भर्ती नियम 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1 (i) इन नियमों को भारत मौसम विज्ञान विभाग (श्रेणी I तथा श्रेणी II पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1976 कहा जा सकेगा।

(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 भारत मौसम विज्ञान विभाग (श्रेणी I तथा श्रेणी II पद) भर्ती नियम, 1969 के नियम 7 और 8 को क्रमश: नियम 8 और 9 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायेगा तथा इस प्रकार पुन:संख्यांकित नियम 8 से पहले निम्नलिखित नियम निविष्ट किया जायेगा, अर्थात:- -

"7 इंजीनियरी डिग्री वाले नए भर्ती किए गये व्यक्तियों के रक्षा सेवाओं में कार्य करने की बाध्यता।

इन नियमों के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् उपर्युक्त किसी पद पर नियुक्त किया गया इंजीनियरी में डिग्री प्राप्त कोई भी व्यक्ति, यदि आवश्यक हुआ तो, प्रशिक्षण में बिताई गयी अवधि को, यदि कोई हो, मिलाकर ऐसे काल के लिए जो चार वर्ष से कम नहीं होगा भारत रक्षा से संबंधित किसी रक्षा सेवा या पद पर काम करने के लिए बाध्य होगा। परन्तु ऐसे व्यक्ति से :—

(क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष बीत जाने के पश्चात् उपरोक्त प्रकार से कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी;

(ख) 40 वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात् उपरोक्त प्रकार से कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

[सं० ए०-12018/2/73-एम०]

फतेह चन्द सूद, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 22nd January, 1976

G.S.R. 351.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the India Meteorological Department (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1969, namely :—

1. (i) These rules may be called the India Meteorological Department (Class I and Class II Posts) Recruitment (Amendment Rules, 1976.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the India Meteorological Department (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1969, rules 7 and 8 shall be renumbered as rules 6 and 9 respectively and before rule 8 as so renumbered, the following rule shall be inserted, namely :

"7. Liability to serve in the Defence Services for new recruits with Engineering Degrees—

Any person with a Degree in Engineering, appointed to any of the said posts on or afterthe date of publication of these rules in the official Gazette shall, if so required, be liable to serve in any Defence Servce or post connected with the defence of India, for a period of not less than four years including the period, if any, spent on training :

Provided that such person

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) Shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years".

[No. A. 12018/2/73-M]

F. C. SUD, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1976

सा० का० नि० 352.—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड से, परामर्श करने के पश्चात् जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) नियम, 1975 में संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का नाम जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) संशोधन नियम 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) नियम 1975 में :—

(क) नियम 5 के उपनियम (1) और नियम 10 के उपनियम (2) में, "पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर 'पचहत्तर रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) नियम 9 के उपनियम (5) में परन्तुक में 'यथाशीघ्र' शब्दों के स्थान पर 'यथाशीघ्र और किसी भी दशा में तीन मास के अपश्चात्', शब्द रखे जाएंगे;

(ग) नियम 12 में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

परन्तु केन्द्रीय बोर्ड द्वारा इस नियम के अधीन परामर्श इंजीनियर की सेवाएं प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का उसे युक्तियुक्त अवसर दिए बिना समाप्त नहीं की जाएंगी।

[सं० क्यू०-15015/49/74-ई०पी०सी०]

आई० चौधरी, उप-सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 21st February, 1976

G.S.R. 352.—In exercise of the powers conferred by section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) the Central Government, after consultation with the Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution, hereby makes the following rules, to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975 :—

(a) in sub-rule (1) of rule 5 and sub-rule (2) of rule 10, for the words "rupees fifty", the words "rupees seventy-five" shall be substituted;

(b) in sub-rule (5) of rule 9, in the proviso, for the words "as soon as may be", the words "as soon as may be, and in any case not later than three months", shall be substituted;

(c) In rule 12, the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

"Provided that the services of a consulting engineer shall not be terminated under this rule by the Central Board except after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action."

[No. Q-15015/49/74-EPC]

I. CHAUDHURI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1976

शुद्धि-पत्र

सा. का. नि. 353.—भारत सरकार, निर्माण और आवास मंत्रालय की दिनांक 17 फरवरी, 1976 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 85(ई) जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में पृष्ठ 267 से 296 पर प्रकाशित हुई :—

(1) पृष्ठ 270 पर 52वीं लाईन के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"8. जैसाकि अधिनियम की धारा 15(1) में व्यवस्था है, क्या आपने अधिनियम के लागू होने की तारीख को अथवा उसके बाद किसी रिक्त भूमि का अर्जन किया है ? यदि हां तो उसकी सीमा, स्थान, प्रकार तथा अन्य विवरण"

(2) पृष्ठ 291 पर चौथी लाईन में—

"20(1)" के स्थान पर "21(1)" पढ़ें

[संख्या 1/40/75-यू. सी. यू.]

एस. महादेव अय्यर, उप-सचिव ।

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th February, 1976

G.S.R. 353.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Works and Housing No G.S.R. 85(E) dated the 17th February, 1976, published in the Gazette of India Extraordinary Part II-Section 3—Sub-section (i) at pages 267 to 296.—

(1) at page 270, after line 52, insert—

"8. Have you acquired any vacant land on or after the commencement of the Act as provided in section 15(1) of the Act? If so, the extent location, mode and other details thereof.";

(2) at page 291, in line 4,—

for "20(1)", read "21(1)".

[No. 1/40/75-UCU]

S. MAHADEVA AYYAR, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

डाक तार बोर्ड

नई दिल्ली- 4 फरवरी, 1976

सा० का० नि० 354.—राष्ट्रपति ने डाक अधीक्षक सेवा श्रेणी II के निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय डाक सेवा श्रेणी I के प्रवर वेतनमान में स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत नितान्त अस्थायी और तदर्थ आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि के लिए स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त किया है।

1 श्री एस० एल० मल्होत्रा	उत्तर पश्चिम सर्कल	दिनांक 13-8-75 से 31-1-76 तक या व्यवस्था की समाप्ति तक, जो भी पहले पड़े।
2. श्री गणेशी लाल	राजस्थान सर्कल	दिनांक 10-9-75 से 31-1-76 तक या नियुक्ति की समाप्ति तक, जो भी पहले पड़े।

[संख्या 4/3/76-एस० पी० ए०-1]

MINISTRY OF COMMUNICATION

(P&T BOARD)

New Delhi, the 4th February, 1976

G. S. R. 354.—The President is pleased to appoint the following officers of P.S.S. Class-II to officiate in the Senior scale of I.P.S. Class-I on purely temporary and ad-hoc basis in the local arrangement for the period specified against their names :—

1. Shri S.L. Malhotra	North West Circle	From 13-8-75 to 31-1-76 or till the termination of the arrangement whichever is earlier.
2. Shri Ganeshi Lal	Rajasthan Circle	From 10-9-75 to 31-1-76 or till the termination of the appointment whichever is earlier.

[No. 4/3/76-SPAI]

सा० का० नि० 355.—राष्ट्रपति ने डाक अधीक्षक सेवा श्रेणी II के निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय डाक सेवा श्रेणी I के प्रवर श्रेणी में नितान्त अस्थायी और तदर्थ आधार पर स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत उनके नाम के सामने अंकित अवधि के लिए स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त किया है।

1. श्री के० जयरमन	तमिलनाडु सर्कल	दिनांक 1-10-75 से 31-1-76 तक या व्यवस्था की समाप्ति तक, जो भी पहले पड़े।
2. श्री गणेशी लाल	राजस्थान सर्कल	20-5-75 (अपराह्न) से 9-9-75 या तक व्यवस्था की समाप्ति तक, जो भी पहले पड़े।
3. श्री सी०एस० सोलसी	मैसूर सर्कल	1-8-75 से 31-1-76 तक या व्यवस्था की समाप्ति तक जो भी पहले पड़े।

[संख्या 4/3/76-एस० पी० ए०-1]